

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ट्रान्स यमुना फेस-2 आगरा योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या-एफ 3 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये योजना के अर्न्तगत निम्न सम्पत्ति के प्रयोग को नर्सिंग होम में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

ट्रान्स यमुना फेस-2 आगरा योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या-एफ 3 का क्षेत्रफल 300 व०मी० से अधिक है व यह 12 मी० चौड़ी सड़क पर स्थित है। उपरोक्त प्रस्ताव पर आगरा महायोजना के जोनिंग रेगुलेशंस के प्राविधानो के कम में आवासीय उपयोग के अतर्गत नर्सिंग होम का निर्माण सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मी० होने व भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 व०मी० से अधिक तथा फंटेज 12 मी० होने की दशा में प्रभाव शुल्क की देयता के साथ अनुमन्य है। आगरा महायोजना के जोनिंग रेगुलेशंस के प्राविधानो के कम में जन सामान्य से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 30 के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

आपत्ति एवं सुझाव आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को सम्बोधित होंगे।

आवास आयुक्त